न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :–सुभाषचन्द्र

(आर.ए.एस.)

प्र.सं. 88/2024

जीसीएमएस : 2024/201

भागीरथ बनाम गणपतराम आदि

अन्तर्गत धारा 88–92ए–209 आरटीएक्ट

उपस्थिति :–

1. श्री मनिन्द्र कुमार प्रार्थी (प्रतिवादी सं. 1 अधि)
2. श्री रविन्द्र बिश्नोई वकील अप्रार्थी (वादी अधि.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी.

–: निर्णय प्रार्थनापत्र :–

दिनांक : 29.09.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व उसके नाम की चक 12 एस.ए.डी. तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 16/13 में पं.नं. 188/340 मु. नं. 36 के कि.नं. 1 ता 25 की कुल खाता योग 6.325 है. कमाण्ड अनकमाण्ड खातेदारी भूमि विरास्तन कहना बतलाते हुए उक्त भूमि में वादी तथा मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के अलावा तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 प्रत्येक का 1/6, 1/6 भाग घोषणा करवाने के लिए प्रस्तुत किया गया है वादी के बतलाए अनुसार अगर मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की उपरोक्त सम्पति को विरास्तन भी माना जावे तो वादी का 1/6 हिस्सानुसार 1.054 है. भूमि का हक व हिस्सा बनता है लेकिन उसके द्वारा मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को अज्ञानता व मुगालता तथा वृद्वावस्था का नाजायज फायदा उठाते हुए मेरे नाम की भूमि चक 12 एस.ए.डी. तहसील रायसिंहनगर के मुरबानम्बर 35 पं.न. 187/340 के कि.नं. 1–2–9–10–11 ता 15–21–22 प्रत्येक सालम–सालम व 3 व 8 प्रत्येक में 0.126 है. व 23 की 0.127 है. कुल 3.162 है. कमाण्ड मय खाला नहरी भूमि व श्री करणपुर तहसील में 3.795 है. बारानी भूमि इस प्रकार से रायसिंहनगर व श्रीकरणपुर दोनों तहसीलों की कुल 6.957 है. नहरी बारानी भूमि जरिये दान पत्र अपने नाम अंतरित करवा ली इस प्रकार से वादी ने दौराने दावा घोषित होने वाले 1/6 हिस्सा की 1.054 है. भूमि में से अनधिक 5.903 है. भूमि अधिक अपने नाम करवा ली ऐसी स्थिति में वादी मुझ प्रतिवादी के नाम की सम्पति में किसी प्रकार का कोई हकूक घोषित करवाने का अधिकरी नहीं है तथा मुझ प्रतिवादी के नाम से शेष रही सम्पति विरास्तन सम्पति की परिभाषा में नहीं आती है। वादी द्वारा मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व चाहे गये अनुतोष के संबंध में मुझ प्रतिवादी के विरूद्व कोई बिनाय दावा व मुखास्मत हासिल नहीं है तथा प्रकरण में माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार वर्जित है। मुझ प्रतिवादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज विवादित भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हकूक नहीं है क्योकि तथाकथित प्रकरण में मुझ प्रतिवादी के नाम से दर्ज भूमि विरास्तन सम्पति की परिभाषा में ना होने के कारण वाद वादी वर्तमान सूरत में ही काबिल खारिजी के हैं। प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा वर्णित कथनों से यह स्पष्टतः प्रतीत होता है कि वादी को मुझ प्रतिवादी के विरूद्व कोई बिनाय मुखास्मत हासिल नहीं है तथा वाद उपरोक्त आधारों पर विधि द्वारा वर्जित है तथा आवेदन काबिल खारिजी के हैं इसके अलावा वादी द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों में कहीं भी वाद हेतुक [illegible] स्थिति में प्रकरण प्रथम दृष्टया ही नाकाबिल चलने के है तथा वाद [illegible] सूरत में ही काबिल खारिजी के हैं अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 [illegible] धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र [illegible] खारिज [illegible] किया जावे तथा वादी के विरूद्व भारी कोस्ट लगाई जावे।
2. अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब प्रार्थना [illegible] कि वादी को विवादित रकबा पर पैतृक सम्पति होने से जन्म से ही हक व अधि[illegible] निहित होने से वह अपने खातेदारी अधिकारों को घोषित करवाने का वाद लाने के विधिक अधिकार रखता है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:32:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

बिन्दू का निर्धारण साक्ष्य पक्षकारान से होना है, इसलिए भी प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है माननीय न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रथम दृष्टया वादी के पक्ष में सिद्व मानते हुये वाद के निस्तारण तक अस्थाई आदेश पारित किया जा चुका हे इसलिये भी प्रार्थना पत्र प्रतिवादी पोषनीय नहीं है। प्रार्थना पत्र मे दर्ज तथ्यों के समर्थन में हल्फनामा भी पेश नहीं किया गया है जिसके अभाव में भी प्रार्थना पत्र प्रतिवादी काबिल निरस्ती के है। प्रार्थना पत्र महज प्रकरण में उलझाव व देरी पैदा करने के आशय से मिथ्या आधारों पर पेश किया गया है प्रतिवादी सद्भावी नहीं होने से प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी मौजूदा स्तर पर मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी सुनी गयी। प्रार्थी/प्रतिवादी अधि. ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौराया व कथन किया कि उक्त विवादित भूमि चक 15 एस.ए.डी. के मु.नं. 35 में 2.163 है. भूमि दिनांक 22.05.2015 को दानपत्र मनीराम के नाम दर्ज करवाई गई। वाद पत्र अनुसार वादीगण को अपने हिस्से से अधिक भूमि प्राप्त हो चुकी है अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आ. 7 नि. 11 व 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी इसी स्तर पर अस्वीकार/खारिज किया जावे। वादी/अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थन पत्र में अंकित तथ्यों को दौराया कि वादग्रस्त कृषि भूमि हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति होने के कारण वादीगण/अप्रार्थीगण का जन्म से ही हक व अधिकार है जिसें वादीगण/अप्रार्थीगण अधिकारों की घोषित कराने के अधिकारी है इस प्रकार वादीगण का वाद विधि अनुसार होने के कारण प्रार्थना पत्र आ. 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी प्रतिवादी का खारिज किया जावे।

बहस उभपक्ष सुनी गयी। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । न्यायालय को इस प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की विवेचना आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार करनी है। प्रतिवादीगण /प्रार्थीगण ने अपने प्रा. पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण/ प्रार्थीगण की स्वयं अर्जित भूमि है इस कारण वाद वादीगण विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज योग्य है न्यायालय ने इस संबंध में संबंधित विधि का ससम्मान अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष इस स्तर पर विचारणीय प्रश्न यह है कि " क्या इस वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण की स्व अर्जित कृर्षि भूमि है ? अगर उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि स्वअर्जित है तो क्या वादीगण उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने हक व अधिकारों की घोषणा करवाने के पात्र है अथवा नहीं है वादीगण द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का उपभोग कर रहा है शेष भूमि का उपयोग–उपभोग एवं आवश्यकतानुसार प्रयोग में लेने हेतु प्रतिवादीगण अपने जीवनकाल में स्वतंत्र है अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं. का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित है।

–:आदेश:–

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी /प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वाद पत्र वादी का इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:32:01 IST
Reason: SelfAttested

(सुभाषचन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास : सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

88/2024 जीसीएमएस : 2024/201

1. भागीरथ पुत्र श्री गणपतराम जाति बावरी साकिन 12 एस.ए.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ।

—:वादीगण

बनाम

1. गणपत राम पुत्र स्व. श्री हरीराम जाति बावरी साकिन 12 एस.ए.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री शम्भु राम जाति बावरी साकिन 23 ओ. तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—:प्रतिवादीगण

4. मनीराम पुत्र श्री गणपतराम जाति बावरी साकिन 12 एस.ए.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
5. परमेश्वरी पुत्री गणपतराम पत्नी श्री देशराज जाति बावरी साकिन 1 डी. एम. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
6. पार्वती पुत्री श्री गणपतराम पत्नी श्री रामलाल जाति बावरी साकिन 23 ओ. तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।
7. चन्द्रकला पुत्री श्री गणपतराम पत्नी श्री हरीराम जाति बावरी साकिन 23 ओ. तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–92ए–209 राज0 काश्त0 अधि0 1955
प्रार्थना पत्र आ. 7 नि. 11 एवं 151 सीपीसी

—: निर्णय :— दिनांक : 29.09.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री रविन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता वादीगण, अमरचन्द डागला–मनिन्द्र कुमार अधिवक्ता प्रतिगण होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री की जाती है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं.1 (प्रार्थीगण/प्रतिवादी) अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 29.09.2025 को न्यायलय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(सुभाषचन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:32:01 IST
Reason: SelfAttested